(116)

सेवा में, लोक सूचना अधिकारी
भारतीय वन्यजीव संस्थान
देहरादून,
उत्तराखण्ड

दि- 3/11/2018

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना चाहने के बाबत्

महोदय, उपरोक्त अधिनियम पर 3 अक्टूबर 2018 के पत्रांक द्वारा भेजी गई सूचना पर बिन्दु संख्या 5 पर प्रार्थी और सूचना देने की प्रार्थना करता है। (Annexure I)

(1) आपके संस्थान में कार्यरत CDL कर्मचारियों को सप्ताह में 6 दिन का कार्य दिवस बिल नियम के तहत दिया जा रहा है जबकि आपका संस्थान सप्ताह में 5 दिन का कार्यदिवस वाला संस्थान है।

(2) अगर CDL कर्मचारियों को 6 दिन के कार्यदिवस के अनुरूप साप्ताहिक अवकाश (Sunday Paid hoilday) की गणना कर के पूर्ण वेतन दिया जा रहा है, तो कृपया साप्ताहिक छुट्टी के दिन का (Sunday) Paid hoilday सम्बन्धित आदेश की प्रति देने की कृपा करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न दो बिन्दु पर भी सूचना देने की कृपा करें,

(1) आपके संस्थान में कार्यरत CDL कर्मचारियों की अक्टूबर माह की वेतन का पूर्ण विवरण (किन्ही तीन कर्मचारियों का)

(2) CDL कर्मचारियों का माह अक्टूबर के वेतन की Bank Accodance की प्रमाणित छायाप्रति (सभी CDL कर्मचारियों के नाम हो जिसमें)

धन्यवाद

प्रार्थी [signature]

संलग्न
भारतीय पोस्टल आर्डर
सं. 44F 358569
₹ 10/-

राम सिंह कनवाल
पुत्र स्व० श्री बचे सिंह कनवाल
ग्राम- खत्याड़ी, गोनाखोला
(चौधार)
पोस्ट- अल्मोड़ा
जि० अल्मोड़ा
263601

WILDLIFE INSTITUTE OF INDIA
Right to Information Act, 2005
Apl. No. 49 Qtr. ___ Year 2018-19
Fee 10/- Inward Date 08/11/2018

Annexure I (115) (356)

भारतीय वन्यजीव संस्थान
चन्द्रबनी, देहरादून

दिनांक : 3 अक्टूबर, 2018

No. : A/2-31/2005-WII (Vol III)

विषय : सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अर्न्तगत सूचना प्रदान करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: लोकसूचना अधिकारी के दिनांक 19 सितम्बर, 2018 के पत्रांक के सम्बन्ध में।

उपरोक्त सूचना प्राथी (श्री राम सिंह, कनवाल, ग्राम खत्याडी,, जिला अल्मोडा) को सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अर्न्तगत दिनांक 08.08.2018 को पहले ही दी जा चूकी थी। इन्होनें पुनः इस सन्दर्भ में सूचना मागी हैं जो बिन्दुवार इस प्रकार से है :–

प्रश्न	उत्तर
(1) बिन्दु 4 (Annexure I) पर संस्थान द्वारा दिया गया उत्तर में, प्रार्थी को भेजा गया Accountancy की कापी में Gross Pay & Net Pay ये जो Gross Pay है क्या वह पूर्ण माह का वेतन है तो (पूरे माह के वेतन देने सम्बन्धित कार्यालय आदेश की कापी) देने की कृपा करें। अगर प्रतिदिन के हिसाब से वेतन भुगतान का प्रावाधान है (जो आप के कार्यालय आदेश में वर्णित है) (Annexure I) तो कितने कार्यदिवस का वेतन CDL को दिया जाता है।	(1) इस सन्दर्भ में संस्थान में कार्यरत दैनिक श्रमिकों अस्थाई स्टेटस (*Temporary Status*) के के वेतन बिलों की छाया प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–I)**. अपेक्षित सूचना आवेदक (संलग्नक–I) से प्राप्त कर सकते हैं।
(2) CDL कर्मचारियों की अगस्त माह का वेतन की Accountance है। की Bank Copy (जो बैक को जहाँ CDL कर्मचारियों के वेतन निर्गत किया जाता है) जिसमे बैंक द्वारा Accountance प्राप्त की बैक मोहर द्वारा प्रमाणित Copy i.e. (Receive Copy) छाया प्रति देने की कृपा करें।	(2) इस सन्दर्भ में संस्थान के CDLs की माह अगस्त 2018 वेतन प्रेषण पत्र की छाया प्रतिलिपि जो कि बैंक को भेजी गयी है संलग्न है। **(संलग्नक–II)**
(3) CDL कर्मचारी (i) Shri Ramsunder Prasad (Annexure III) (1) (ii) Shri Babaden (Annexure III) (2) (iii) Shri Pormo Boro (Annexure III) (3) की जून, जुलाई, अगस्त की वेतन Accountance में Gross Pay के वेतन के हिसाब से इनकी प्रतिदिन की वेतन कितना बनता है, व ये कर्मचारी संस्थान मे किस सन से CDL के तौर पर कार्यरत है व आज तक इनकी सैलरी में कितने Increment add हो चुके हैं।	(3) उपरोक्त सूचना **बिन्दु 1** में प्रदान की गई सूचना में कवर कर दी गई है। संस्थान में कार्यरत दैनिक श्रमिकों अस्थाई स्टेटस (*Temporary Status*) का पद दिनांक 01. 09.2003 से दिया गया है। इस सन्दर्भ में संस्थान के कार्यालय ज्ञापन सं0 ए/2–13/2007–भा0व0सं0 दिनांक 29.10.2008 की छाया प्रति में सूचना संलग्न है।**(संलग्नक–III)**
(4) क्या संस्थान में सन् 2004 के बाद किसी कर्मचारी को CDL का Status प्रदान कीया गया है, अगर है तो क्या उस कर्मचारी का CPF मद में कटौती होती है। (पूर्ण विवरण दें)	(4) नहीं
(5) आपके संस्थान मे सप्ताह में कितने दिनों का कार्य दिवस होता है।	(5) संस्थान पांच दिनों का कार्य दिवस होता है। लेकिन CDLs (Temporary Status) सप्ताह में 6 (छः) दिन कार्य करते हैं। रविवार का अवकाश होता है।

INFORMATION PROVIDED UNDER RTI

संलग्नक: यथोपरि

(टी0 के0 आहूजा)
अनुभाग अधिकारी

(पी0के0 अग्रवाल)
प्रशासनिक अधिकारी

ATTESTED
CPIO, Wild Life Institute of India, Dehradun

CPIO